

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।


**:: आदेश ::**

**क्रमांक : 05/ई.वी./2024**

**दिनांक : 28.05.2024**

राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 1952 के नियम 439 के अन्तर्गत अधिवक्ताओं को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर तथा पीठ, जयपुर के समक्ष गाऊन पहन कर उपस्थित होने की अनिवार्यता से ग्रीष्मावकाश दिनांक 03 जून, 2024 से 30 जून, 2024 तक अभिमुक्त किया जाता है।

**आज्ञा से**

  
**रजिस्ट्रार जनरल**

**No.Gen./XV/Amend/10/1976/SC-I/912 Date : 28.05.2024**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार एवं प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय।
2. समस्त निजी सचिव, माननीय न्यायाधिपतिगण, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर पीठ, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय।
4. समस्त रजिस्ट्रार/ओ.एस.डी, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ, जयपुर/ रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्यालय दिल्ली,
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जोधपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान, जोधपुर/जयपुर पीठ, जयपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान, जोधपुर/जयपुर पीठ, जयपुर।
8. सचिव, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, जोधपुर।
9. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, जोधपुर।
10. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर।
11. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर।

  
**रजिस्ट्रार जनरल**